न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–दतिया R 3483-I/14 एफ

कृष्णकान्त लिटोरिया पुत्र रामकिशोर लिटोरिया निवासी पस्तोर वाली गली पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के पास दतिया (म.प्र.) —— आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला दतिया (म.प्र.)
2. रामसहाय छिरौल्या, एडवोकेट, पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद छिरौल्या, निवासी पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के पास, बड़ा बाजार, दतिया (म.प्र.)

—— अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 265 /2013–14 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 23.9.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि रकवा 402 को नजूलभूमि घोषित किये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जबकि उक्त आदेश के पारित करने से पूर्व आवेदक को सूचना सुनवाई साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया है जो नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, आवेदक को उक्त आदेश की जानकारी उस समय हुयी नजूल भूमि के अतिक्रमण की शिकायत आवेदक के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी। उक्त शिकायत के आधार पर तहसीलदार दतिया द्वारा आवेदक को कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया जो उसे दिनांक 01.05.2014 को प्राप्त हुआ। तत्काल दिनांक 01.05.2014 को भू–खण्ड क्रमांक 440 का **अक्श एवं नजूल शीट तथा** अंतिम आदेश की प्रतिलिपी हेतु आवेदन **पत्र प्रस्तुत किया ओर** दिनांक 06.05.2014 को अक्श तथा नजूलशीट **की प्रमाणित प्रतिलिपी** दी गयी किन्तु अंतिम आदेश की प्रतिलिपी **उपलब्ध**

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3483–एक/2014 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–04–15	यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 23–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने सिविल प्रकिया संहिता (सी.पी.सी.) के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत अनावेदक क्रमांक 2 को पक्षकार बनाने का आवेदन स्वीकार किया है । 2– प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषकगण को सुना गया । आवेदक की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण की विषय वस्तु उनके तथा शासन के बीच में है । अनावेदक क्रमांक 2 निचले न्यायालय में भी पक्षकार नहीं था अतः अपर आयुक्त के द्वारा उनको पक्षकार के रूप में अभिलेख पर लेने में त्रुटि की गई है । 3– अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से तर्क दिया गया कि वह प्रकरण में शिकायतकर्ता के रूप में शुरू से रहे हैं । आवेदक का प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है उनके द्वारा प्रकरण में उपस्थित रहकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा । 4– अपर आयुक्त के प्रकरण का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक के द्वारा अपील कलेक्टर के आदेश दिनांक 28–06–2002 के विरूद्ध की गई है । आदेश दिनांक 28–6–2002 के द्वारा कलेक्टर ने नजूल जॉच अधिकारी के प्रतिवेदन पर प्रश्नाधीन भूमि को खुली भूमि घोषित कर अभिलेखों में अंकित करने का आदेश दिया । उक्त प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 2 पक्षकार नहीं रहे हैं । जहॉ तक आवेदक के विरूद्ध अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही का प्रश्न है अपर आयुक्त के समक्ष जिस आदेश की अपील की	

पूर्व पृष्ठ से

गई है वह अतिक्रमण संबंधी आदेश न होकर नजूल जॉच संबंधी आदेश है । अतः आवेदक की आपत्ति स्वीकार योग्य है कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण में केवल शासन तथा आवेदक ही आवश्यक पक्षकार हैं ।

5– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 23–09–2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण का अभिलेख अपर आयुक्त न्यायालय में नियमानुसार आदेश की प्रति के साथ प्रकरण के निराकरण के लिये भेजा जाये ।

प्रशासकीय सदस्य